(584) (385)

कार्यालय नगर निगम कोटा–उत्तर, कोटा, राजस्थान

क्रमांक : ननिको–उ0/निर्माण/2023/ 2352-68 दिनांक 29/3/23

ई–निविदा सूचना संख्या : 38/2022–23

नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण) द्वारा विभिन्न अभियान्त्रिकी विभागों में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं अन्य किसी से ई–निविदा पद्धति से निम्नानुसार ऑनलाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। संवेदक निविदा प्रपत्र नगर निगम कोटा की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/nnks, http://sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकेंगे।

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 31.03.2023 से 10.04.2023 तक
- निविदा अपलोड करने की तिथि : 31.03.2023 से 10.04.2023 तक
- निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस प्राप्त करने की तिथि : 11.04.2023 (दोपहर 2.00 बजे)
- निविदा/तकनीकी बिड खोलने की तिथि : 11.04.2023 (सायं 4.00 बजे)
- वित्तीय बिड खोलने की तिथि : तकनिकी बिड परीक्षण के पश्चात्

क्र.स.	कार्यकानाम	अनु.लागत (लाखों में)	धरोहरराशि		निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क	कार्यपूर्णकरने कीअवधि
			0.50%	2%			
1	नगर निगम कोटा उत्तर के प्रशासनिक भवन में फर्नीचर एवं एल्युमिनीयम निर्माण कार्य।	97.21	48605/-	194420/-	1500/-	1000/-	वार्षिक अनुबन्ध
2	नगर निगम कोटा उत्तर के प्रशासनिक भवन मे विभिन्न प्रकार के मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य।	86.19	43095/-	172380/-	1500/-	1000/-	वार्षिक अनुबन्ध

शर्ते–

1. निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक/फर्मो द्वारा जमा की जाने वाली टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि के डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा–उत्तर के नाम एवं प्रोसेसिंग फीस (MD RISL) जयपुर के नाम देय होगी। उक्त निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर राशि के डी.डी. नियत समय में जमा कराया जाना होगा।
2. कार्य के विलम्ब की स्थिति में गुणावगुण के आधार पर अनुबन्ध में निहित अधिकतम दर तक शास्ती लगाई जा सकेगी।
3. संवेदक को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति उपरान्त कार्यस्थल के फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होंगे एवं कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड स्वयं के खर्चे पर लगाना होगा।
4. संवेदक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता को सूचित करेगा एवं उनके सामने गुणवत्ता रिपोर्ट देना सुनिश्चित करेंगे।
5. न्यूनतम मजदूरी एक्ट एवं श्रम कानूनो की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
6. निर्माण कार्यो में नियोजित श्रमिको का कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पंजीयन करना तथा पी.एफ. एवं ई.एस.आई. कराकर संबधित विभाग (ई.पी.एफ.ओ.) से अदेयता प्रमाण पत्र कार्य के अन्तिम बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. कार्य सम्पादन प्रतिभूति/सुरक्षानिधि की वापसी अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार होगी।
8. संवेदक द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध में यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि पी.एफ. और ई.एस.आई. विभाग के किसी प्रकार के दायित्व सृजित होते है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
9. वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.2021 अनुसार आर.टी.पी.पी. नियम 2013 Additional Performance Security के लिये नियम 75 ए जोडा गया है। Work Performance Guarantee के रूप में कार्य आदेश जारी करने से पूर्व ली जावेगी तथा इसे कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारण दोष निवारण अवधि के उपरान्त कार्य की स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर ही संवेदक को रिफन्ड की जावेगी।
10. तकनिकी बिड खोलने की तिथि पर किसी भी कारणवश अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस पर प्राप्त व खोली जावेगी।
11. संवेदक निविदा से संबंधित निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर राशि के डी.डी. इत्यादि फर्म के नाम से बनवाये।
12. निविदा में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस/धरोहर राशि के डी.डी. अनिवार्य रूप से नगर निगम कोटा–उत्तर में जमा करना होगा जो कि वापस नही किये जायेंगे।
13. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के अधीन होगी।
14. संवेदक को नियोजित श्रमिको का कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पंजीयन करना तथा पी.एफ. एवं ई.एस.आई. कराकर संबधित विभाग (ई.पी.एफ.ओ.) से अदेयता प्रमाण पत्र कार्य के अन्तिम बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
15. संवेदक को तकनिकी बिड में पी. एफ. एवं ई. एस. आई के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करनी होगी।

8x85

16. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.01(24)नविवि/I/2020 लूज जयपुर दिनांक 20.09.2021 अनुसार विकास कार्यों की निविदाओं में संवेदको द्वारा बी.एस.आर. दर से कम डालने पर अन्तर राशि (AT PAR की दर से जितनी कम है) वर्क परफोरमेंस गारन्टी के रूप में कार्यादेश जारी होने से पूर्व जमा करानी होगी।
17. अनुबन्ध करने में असमर्थ रहने अथवा कार्य करने मे असमर्थ रहने पर नियमो के अन्तर्गत आपकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर नगर निगम को कार्य करने का/जमा योग्य अर्नेस्टमनी की शास्ती लगाने की कार्यवाही करने का नगर निगम को अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. क. संख्या 1 के लिये विभिन्न अभियान्त्रिकी विभागों में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों एवं अन्य किसी राजकीय विभाग में "A" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको जो फर्नीचर एण्ड जॉयनरी कार्य मे एफ–1 क्लास में पंजीकृत की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

अधिशाषी अभियन्ता
नगर निगम कोटा उत्तर
दिनांक : 22/3/23

क्रमांक :– ननिको–उ0/निर्माण/2023/2352-68
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ

1. श्रीमान महापौर महोदय, महोदय, नगर निगम कोटा उत्तर।
2. श्रीमान उपमहापौर महोदय, नगर निगम कोटा उत्तर।
3. श्रीमान नेता प्रतिपक्ष महोदय, नगर निगम कोटा उत्तर।
4. श्रीमान अध्यक्ष महोदय (निर्माण समिति) नगर निगम कोटा उत्तर।
5. श्रीमान आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा उत्तर।
6. श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त, महोदय, नगर निगम कोटा उत्तर।
7. श्रीमान मुख्य अभियन्ता, नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण)।
8. श्रीमान मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा उत्तर।
9. सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा उत्तर।
10. अधिशाषी अभियन्ता (खण्ड–I, II, III) नगर निगम कोटा उत्तर।
11. समस्त अनुभागाधिकारी, नगर निगम कोटा उत्तर।
12. सम्बन्धित सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (निर्माण/उद्यान/विद्युत/नल अनुभाग) नगर निगम कोटा उत्तर को भेजकर लेख है कि उक्त दिनांक से पूर्व तखमीना तैयार करवाकर वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. अध्यक्ष, पुस्तकालय, नगर निगम कोटा उत्तर को वास्ते .... समाचार–पत्र में संक्षिप्त स्थान पर प्रकाशन हेतु।
14. निजी सहायक (महापौर महोदय) नगर निगम कोटा उत्तर।
15. निजी सहायक (अधि.अभि. I/II/III/प्रभारी, हेल्पलाईन/स्मार्टराज प्रोजेक्ट आईटी/आईटी सेल कमरा नं. 325/ओसवाल डाटा प्रोसेसिंग, कोटा/कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन नगर निगम–कोटा (उत्तर/दक्षिण)।
16. ई– गर्वेनेन्स, नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण)
17. सुरक्षित पत्रावली, नगर निगम कोटा उत्तर।

अधिशाषी अभियन्ता
नगर निगम कोटा उत्तर